RNI No. MAHBIL/2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ४१] मंगळवार, डिसेंबर १२, २०१७/अग्रहायण २१, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १२ दिसंबर, २०१७ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. LXVII OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT AND TO REPEAL THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT (PAYMENT OF LUMP-SUM CONTRIBUTION BY FACTORIES IN LIEU OF TAXES) RULES, 1961.

विधानसभा का विधेयक क्र. ६७, सन् २०१७।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (करों के बदले कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम, १९६१ का निरसन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५९ का ३ ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र ग्राम **पंचायत** अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (करों के बदले कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम, १९६१ का निरसन करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (करों के बदले में कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम (निरसन) अधिनियम, २०१७ कहलाये ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

सन् १९५९ का ३ की धारा १२५ का अपमार्जन ।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं) की धारा १२५ अपमार्जित की जायेगी । सन् १९५९ का ३ ।

सन् १९५९ का ३ की धारा १७६ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा १७६ की, उप-धारा (२) का, खण्ड (२७), अपमार्जित किया जायेगा ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

४. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (करों के बदले में कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम, १९६१ निरसित होगा ।

(२) मूल अधिनियम की धारा १२५ के अपमार्जित और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (करों के बदले में कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम, १९६१ के निरसन के होते हुये भी, तद्धीन प्रविष्ट किया गया या कार्यान्वित किया गया करार, करार में उल्लिखित अवधि के लिये विधिमान्य होगा और तत्पश्चात् अवसित होगा :

परंतु,—

(एक) यदि, करार की अवधि प्रभावी हैं, तब महाराष्ट्र ग्राम **पंचायत** अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार, **पंचायत** किन्हीं नये करों को अधिरोपित करेगी ; या सन् १९५९ का ३ ।

(दो) यदि अधिभोगी, उसके परिसर में एक नया भवन संरचित करता हैं या किसी विद्यमान भवन में सामग्री परिवर्तन करता हैं, तब कर अलग से उदग्रहीत या संग्रहीत किया जा सकेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र ग्राम **पंचायत** अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा १२४, **पंचायत** द्वारा करों और फिसों के उदग्रहण के लिये उपबंध करती हैं । उक्त अधिनियम की धारा १२४ के अधीन निर्मित महाराष्ट्र ग्राम **पंचायत** कर तथा फीस नियम, १९६० के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा कर उदग्रहीत तथा वसूल किये जाते हैं । महाराष्ट्र ग्राम **पंचायत** कर और फीस नियम, १९६० देखिए महाराष्ट्र सरकार अधिसूचना, ग्राम विकास विभाग और जल संधारण विभाग क्र. वीपीएम २०१५/सीआर-१४०/पीआर-४, दिनांकित ३१ दिसंबर, २०१५ संशोधित किये गये हैं और तब से, संपत्ति कर पूंजी मूल्य के आधार पर उदग्रहीत किया जा रहा हैं । उक्त अधिसूचना के पूर्व, औद्योगिक उपयोग के लिये करों के दर आवासी उपयोग के दरों से दुगने उदग्रहीत किये जाते थे और उक्त अधिसूचना के पश्चात्, यह आवासी उपयोग के कर के दर से १-२० गुना उद्ग्रहीत किया जा रहा हैं ।

२. उक्त अधिनियम की धारा १२५, पंचायत द्वारा उदग्रहीत करों के बदले कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान के लिये उपबंध करती हैं । उसी रुप में, पंचायत, पंचायत द्वारा उदग्रहीत सभी या किन्हीं करों के बदले में एकमुश्त अंशदान प्राप्त करने के लिये, राज्य सरकार की मंजूरी के साथ किन्ही कारखानों के साथ करार करने के लिये सशक्त थी ।

३. संपत्ति कर, ग्राम **पंचायतों** का मुख्य राजस्व स्रोत हैं । पंचायत का राजस्व उचित रुप से सुरक्षित हैं और विभिन्न उद्योगों में कोई विवेकाधीन व्यवहार नही हो रहा हैं की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम की धारा १२५ के उपबंध और धारा १७६ की उप-धारा (२) का खण्ड (२७) अपमार्जित करना और (करों के बदले में कारखानों द्वारा एकमुश्त अंशदान का भुगतान) नियम, १९६१ का निरसन करना इष्टकर समझा गया हैं ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं ।

मुंबई,
दिनांकित ५ दिसंबर, २०१७ ।

पंकजा मुंडे,
ग्राम विकास मंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अर्न्तग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड १ (२).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, उस दिनांक को नियत करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप का हैं ।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित १२ दिसंबर, २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.